


फर्द-अहकाम  
नियम -26

प्रकरण संख्या-14/2024 (14/2024)

मोहन पुत्र किशना बनाम सूरता देवी  
किस्म मुकदमा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज
13/02/2024	<p>प्रत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। उक्त उनवानी प्रकरण में वाद बावत स्थाई निषेधाज्ञा सुनवाई हेतु ग्राह्य नहीं होने तथा आदेश 2 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण ग्राह्य स्तर पर खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> <b>उपस्रण्ड अधिकारी</b> <b>भिनाय (केकड़ी)</b></p>